न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 88/2016
निर्णय दिनांक– 29.10.2018

उनवान

1.सुनिता पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.मन्जू पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3.निरमा पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4.दिलबर पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5.काली पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
6.धोली पत्नी राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादीगण

बनाम

1.दुर्गालाल पुत्र श्रीनाराण जाति ब्राहम्ण निवासी धूवां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2.सोभागनी पुत्री श्रीनाराण जाति ब्राहम्ण निवासी धूवां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा , दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा
उपस्थित– हरिराजसिंह वकील वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी खसरा नम्बर 268 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 418/2 ,449 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता श्रीनारायण पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी धूंवा के गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी। जिसको वादीगण के पिता/पति राजूलाल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.6.1973 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरकरण भरा जा चुका था तथा वादग्रस्त आराजी पर वादीगण के पिता/ पति राजूलाल जीवित रहे स्वयं काबिज काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादग्रस्त आराजी के हाल ख0न0 66 रकबा 1.31, ख0न0 634 रकबा 1.62 है0 वाके ग्राम कचरावता बनाये है। उक्त आराजीयात पर वादीगण का अपने पिता के जीवनकाल से लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु दौराने सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता के नाम खातेदारी मे लगाये जाने के बावजूद पुनः प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता/पति के नाम दर्ज कर दी गई। जिसका सेटलमेन्ट विभाग को कोई हक व अधिकार नही था। वादग्रस्त आराजी पुनः गलत रूप से प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी मे दर्ज हो जाने के कारण अब प्रतिवादीगण के दि लमे बेईमानी आने लगी है तथा वादग्रस्त आराजी से उनका कोई हक व अधिकार नही होने के बावजूद गलत रूप से स्वयं के नाम फोती नामान्तरकरण भरवाने व रहन बैचान करने पर आमादा है। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का उनके पिता के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी का फौती

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण खुलवाकर उक्त आराजी को रहन बैचान किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर डिकी फरमाया जावें। आराजी खसरा नम्बर 67 रकबा 1.31, ख0न0 416 रकबा 1.62 हैक्टर वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण न0 1 व 2 के पिता का नाम तर्क किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 22.8.2018 के द्वारा करवाई गई। प्रतिवादीगण को रूक–रूक कर बार–बार आवाज लगाई गई । प्रतिवादीगण एवं उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही आने से उनके विरूद्व दिनांक 23.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 ग्राम कचरावता प्रदर्श 1, छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र राजूलाल, नकल जमाबन्दी सम्वत 2034–2037 ग्राम कचरावता प्रदर्श 3, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 ग्राम कचरावता प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 एवं प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041–2060 ग्राम कचरावता प्रदर्श 9, नकल नामान्तरकरण संख्या 112 ग्राम कचरावता प्रदर्श 10, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 11, असल विक्रय पत्र प्रदर्श 12 व नकल मिलान क्षैत्रफल 2041–2060 प्रदर्श 13 पेश किये है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न गवाहान पी.डब्लू. 1 काली, पी.डब्लू. 2 बाबूलाल, पी.डब्लू. 3 हंसराज व पी.डब्लू. 4 हेमराज के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

वादीगण के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रदर्श 9 नकल जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 वाके ग्राम कचरावता मे साबिक ख0न0 368 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा , ख0न0 418/2 व 449 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा श्रीनारायण पुत्र जमनालाल ब्राहम्ण सा0 धुंवा गौर खातेदार दर्ज है। जिसमे ना.क. 205 दिनांक 11.5.83 से ख0न0 418/2, 449 मे से 1 बिस्वा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुयी है। प्रदर्श 12 रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.6.73 के द्वारा साबिक आराजी ख0न0 368 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा , ख0न0 418/2 व 449 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता श्रीनारायण पुत्र जमनालाल ब्राहम्ण सा0 धुंवा से राजू पुत्र रामा कोम मीना सा0 कचरावता के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रदर्श 10 नकल नामान्तरकरण संख्या 112 ग्राम कचरावता मे साबिक आराजी ख0न0 368 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा , ख0न0 418/2 व 449 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा का नामान्तरकरण जरिये रजिस्ट्री के श्रीनारायण पुत्र जमनालाल ब्राहम्ण सा0 धुंवा के स्थान पर राजू पुत्र रामा को0 मीना सा0 देह का 25.2.75 को नामान्तरकरण स्वीकार हुआ है। प्रदर्श 13 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2041 से 2060 के अनुसार निम्न प्रकार हाल नम्बर कायम हुये है:–

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
268	5 बीघा 14 बिस्वा	66	1.31
418 व 440 मि0	6 बीघा 7 बिस्वा	634	1.62
449	9 बीघा 5 बिस्वा	689	2.30

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रदर्श 7 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2062 से 2065 के अनुसार निम्न प्रकार हाल नम्बर कायम हुये है:–

साबिक		हाल	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
66	1.31	67	1.31
634	1.62	416	1.62

प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी मे आराजी ख0न0 67 रकबा 1.31 व ख0न0 416 रकबा 1.62 श्रीनारायण पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण सा0 धुंवा की गैर खातेदारी मे दर्ज है।

राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 368 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा , ख0न0 418/2 व 449 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा श्रीनारायण पुत्र जमनालाल ब्राहम्ण सा0 धुंवा की गैर खातेदारी की भूमि थी, जिसे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.6.73 को वादीगण के पिता/पति ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 112 दिनांक 25.2.75 को राजू पुत्र रामा को. मीना सा0 देह के नाम स्वीकृत हुआ है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित होना चाहिये था परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आदेश व वैधानिक अधिकार के पूर्व खातेदार का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया है। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 22.8.2018 के द्वारा करवाये जाने के बावजूद भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व दिनांक 23.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। प्रतिवादीगण का वाद मे उपस्थित नही होना तथा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया जाना वादीगण के वाद का परोक्ष समर्थन है। प्रतिवादीगण गवाहान पी0डब्लू 1 ता पी0डब्लू 4 ने अपने शपथ पत्रों मे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का उनके पिता के जीवनकाल से लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा अब तक भी वादग्रस्त आराजीयात का फोती नामान्तरकरण न खुलवाया जाना यह साबित करता है कि वादग्रस्त आराजीयात पर उनका कोई कब्जा काश्त नही है तथा भूमि उनके पूर्वज द्वारा बैचान कर दी गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ख0न0 67 रकबा 1.31 ख0न0 416 रकबा 1.62 हैक्टर वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से श्रीनारायण पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण सा0 धुंवा नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो । फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक (राज0)
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.सुनिता पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.मन्जू पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3.निरमा पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4.दिलबर पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5.काली पुत्री राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
6.धोली पत्नी राजूलाल जाति मीना निवासी कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादीगण

बनाम

1.दुर्गालाल पुत्र श्रीनाराण जाति ब्राहम्ण निवासी धूवां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2.सोभागनी पृत्री श्रीनाराण जाति ब्राहम्ण निवासी धूवां तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

प्रतिवादीगण

दावा उदघोषणा , दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 88 वर्ष 20186

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री हरिराजसिंह वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व .....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 67 रकबा 1.31 ख0न0 416 रकबा 1.62 हैक्टर वाके ग्राम कचरावता तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से श्रीनारायण पुत्र जमनालाल जाति ब्राहम्ण सा0 धुंवा नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी भी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 10 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner